फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

देवनारायण बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0–51/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1310/833 वाके रामा भोजपुरा पटवार हल्का कैलाई में स्थित है जो कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2021 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी कार्यवाही करवाना चाहते है। बिना पत्थरगढी के प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.ए. स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार सिकराय से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट तलब कर बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। जवाब स्टेट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 1310/833 वाके रामा भोजपुरा पटवार हल्का कैलाई तह0 सिकराय जिला दौसा में पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है तहसीलदार उक्त आदेशानुसार प्रार्थी की भूमि पर पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। **साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है न कि कब्जा संभलवाने अथवा बेदखली का इसलिए केवल पत्थरगढी कार्यवावही की जावे जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे।** तहसीलदार सिकराय को पालना हेतू तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	